

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रेमो 05 अप्रैल वाद सं 01/2023-24

दानीनाथ मुखर्जी एवं अन्य..... अपीलकर्ता
बनाम
नारायण हिमतसिंहका..... उत्तरकारी।

आदेश

06.10.2023

यह रेमो 05 अप्रैल वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आरोग्य वाद सं 70/2021-22 में पारित आदेश दिनांक-07.02.2023 के विरुद्ध में दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उल्लेखित मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है :-

मौजा सरसाबाद के हाल खाता नं 31 के दाग सं 388 कुल रकवा 09 डीसमल एवं 389 कुल रकवा 11 डी० किस्म बाड़ी-II बोलकर खतियानी रैयत दानीनाथ मुखोपाध्याय वो त्रिलोकिनाथ मुखोपाध्याय दोनो पिता-गुरुपदो मुखोपाध्याय के नाम से दर्ज है। उक्त जमीन पर उत्तरकारी नारायण चन्द्र हिमतसिंका एवं चन्द्ररा मंडल द्वारा जबरन अतिक्रमण कर मकान बना लिया गया है। इसके विरुद्ध निम्न न्यायालय में उत्तरकारियों को उच्छेद करने हेतु उच्छेदित वाद सं 70/21-22 दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है-

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत दाग रैयती जमीन है। उत्तरकारीगण जबरन उस पर अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कर लिया गया है जो संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा-42 के विरुद्ध है, किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के उच्छेदी आवेदन को अस्वीकृत किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। अतः अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाय।

उत्तरकारी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है :-

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरकारी द्वारा निर्माण किये गये जमीन उन्हें अपीलकर्ता से दान-पत्र द्वारा प्राप्त है। अपीलकर्ता को उक्त जमीन के एवज में उचित राशि मुआवजा के रूप में दिया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।



अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में
उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :-

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा आदेश में उल्लेख है कि प्रश्नगत जमीन के एवज में अपीलकर्त्तागण द्वारा 3,70,000 (तीन लाख सत्तर हजार) रुपये उत्तरकारीगण से प्राप्त किया गया है। अपीलकर्त्ता के सहमति से ही उत्तरकारी द्वारा उक्त जमीन पर मकान बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, रीची के W.P.C No.-4669/2009 में पारित आदेश दिनांक-03.07.2009 एवं माननीय उच्च न्यायालय विहार, पटना के C.W.J.C 1970/1975 में पारित आदेश के आलोक में मकान से किसी को उच्छेद नहीं किया जा सकता है। संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 कृषि योग्य भूमि पर लागू मानी जाती है, न कि मकान पर। इसी आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

प्रावधान

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम की धारा-20 एवं 42 में
उल्लेखित प्रावधान :-

Sec-20- Transfer of raiyat's rights -(1) No transfer by a Raiyat of his right in his holding or any portion thereof, by sale, gift, mortgage, will, lease or any other contract or agreement, express or implied, shall be valid, unless the right to transfer has been recorded in the record of rights, and then only to the extent to which such right is so recorded.

Sec 42. Ejectment of a person in unauthorised possession of agricultural land. The Deputy Commissioner may at any time either of his own motion or on an application made to him pass an order for ejectment of any person who has encroached upon, reclaimed, acquired or come into possession of agricultural land in contravention of the provisions of this Act or any law or any thing having the force in the Santhal parganas.

निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत दाग जमीन बाड़ी II बोलकर खतियान में अपीलकर्त्ताओं के नाम से हाल सर्व में दर्ज है। प्रश्नगत जमीन उत्तरकारीगण को अपीलकर्त्ताओं से दान-पत्र द्वारा प्राप्त है जिसका मुआवजा राशि 3,70,000 (तीन लाख सत्तर हजार) रुपये भी अपीलकर्त्ता द्वारा प्राप्त किया गया है इसी आधार पर उत्तरकारीगण द्वारा उक्त जमीन पर मकान बनाया गया है।

निम्न न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय विहार पटना के C.W.J.C 1970/1975 (विश्वनाथ धिड़िया बनाम राज्य) में पारित आदेश के अनुसार संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम 1949 के धारा-42 कृषि योग्य जमीन पर लागू होता है न कि मकान पर।



इस आधार पर उन्हें प्रश्नगत जमीन से उच्छेदित नहीं किया गया है एवं अपीलकर्ताओं के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

निम्न न्यायालय के आदेश में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, रॉची के W.P.C 4669/2009 में पारित आदेश दिनांक-03.07.2009 का भी उल्लेख किया गया है। उक्त आदेश में निम्न प्रकार उल्लेख है। "The petitioner has approached this Court in equitable and discretionary jurisdiction, wherein he seeks to say in sum and substance that the petitioner has forcibly trespassed and encroached upon somebody's land, and now the petitioner should be permitted to be protected by law for this totally illegal act by allowing the petitioner to retain the trespassed land and walk away with payment of compensation to be determined by the revenue authorities. It would be a mockery of the discretion and the equity contemplated under Article 226 of the Constitution of India to grant this kind of relief."

किन्तु अपीलकर्ता द्वारा उत्तरकारीयों से प्रश्नगत जमीन का मुआवजा राशि 3,70,000 (तीन लाख सत्तर हजार) रुपये प्राप्त किया गया है जो एक प्रकार से रैयती जमीन का छुपा बिकी (Hidden Sell) है तथा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम 20 का उल्लंघन है। प्रश्नगत जमीन पर उत्तरकारियों का मकान बना हुआ है एवं उस पर वसोवास किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना के C.W.J.C 1970/1975 (विश्वनाथ घिड़िया बनाम राज्य) में पारित आदेश के अनुसार संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम 1949 के धारा-42 कृषि योग्य जमीन पर लागू होता है न कि मकान पर, जो निम्न प्रकार उद्यृत है :-*It is mentioned in paragraph 2 (v) of this petition that section 42 has no application because it was not an agricultural land. It is clear from the finding of the learned Sub divisional officer that the house is in existence, over the disputed land since 1953. Therefore, in my opinion, it is not a proceeding under section 42 of the Act. Hence, I reject this contention of the learned counsel for the State.* ऐसी स्थिति में यह मामला सक्षम न्यायालय का प्रतीत होता है।

आदेश

उल्लेखित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक मे निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप एवं आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

 ६.०१.२७

उपायुक्त,
दुमका।

 ६.०१.२७
उपायुक्त,
दुमका।